

# अध्याय – 1

## संगठन, कार्य और कर्तव्य

### संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

1	लोक प्राधिकरण के उद्देश्य	(1) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं) की परीक्षाओं का संचालन करना तथा शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित वर्ग को पुनः मुख्य धारा से जोड़ना। (2) दृढ़ एवं विकसित भारत निर्माण और सबके लिए शिक्षा
2	लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन	स्कूल में और स्कूल के बाद भी
3	लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग	अध्याय 01 के अनुसार
4	लोक प्राधिकरण के कर्तव्य	संचालित की जाने वाली परीक्षाओं का शांतिपूर्व सुगम सुव्यवस्थित एवं सुचारू सफल रूप से आयोजन कराना।
5	लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य	(1) परीक्षायें संपन्न उपरांत उ.पु. का मूल्यांकन कराकर समय सीमा में परीक्षाफल घोषित करना एवं संकलन केन्द्रों के माध्यम से अंकसूची/प्रमाण पत्र प्रदाय करना। (2) माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्म निर्भर “भारत” के स्वप्न को साकार रूप देना। (3) सभी के लिये सुलभ एवं वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना। (4) दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकि साधनों के उपयोग में शिक्षित करना। (5) जिला केन्द्र के माध्यम से एक विद्यालय को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ भौतिक संसाधनों से युक्त कर “वर्ल्ड क्लास” शिक्षण की व्यवस्था कर उसे भविष्य के लिये सक्षम बनाना। (6) पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में न्यूनतम एक कौशल-विकास केन्द्र तैयार कर स्थानीय समुदाय को प्रशिक्षित करना। (7) शासन द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिका परीक्षाओं को बोर्ड के माध्यम से आयोजन करना। (8) “सब्जेटिव डिजीटल मूल्यांकन” के माध्यम से न्यूनतम समय में परीक्षा परिणाम घोषित कर

		विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण एक वर्ष खराब होने से बचाना।
6	लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण	(1) परीक्षाओं का संचालन – कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, श्रमोदय प्रवेश परीक्षा, जिला स्तरीय उत्कृष्ट एवं विकास खण्ड स्तरीय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा, सुपर 100 प्रवेश परीक्षा, सी.एम. राइज प्रवेश परीक्षा (स्कूल शिक्षा / जनजाति विभाग) गार्ड विद्यालय प्रवेश परीक्षा, निदानात्मक आंकलन परीक्षा (2) मुक्त शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षण संबंधी कार्य (3) दूरस्थ शिक्षा की उन्नती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (4) शालाओं को फर्नीचर एवं अनुदान। (5) म.प्र. शासन से MOU के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के तहत 53 EFA (Education for All) विद्यालयों का संचालन
7	लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा।	प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं तहसील स्तर पर 53 शासकीय ई.एफ.ए. विद्यालय संकलन केन्द्र के रूप में संचालित है।
8	लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं	निरंक
0	जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि / व्यवस्था	निरंक
10	जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था	शिकायतों के निवारण के लिए ओपन बोर्ड में (1) पृष्ठांछ मंच (2) MPSOS एप
11	मुख्य कार्यालय का पता	म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, मा.शि.मं. परिसर, शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
12	कार्यालय के खुलने का समय कार्यालय बंद होने का समय	प्रातः 10:30 बजे सोमवार से शनिवार सायंकाल 5:30 बजे सोमवार से शनिवार